कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज।

सेवा मे,

समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामु0 स्वा0 केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र
कन्नौज

पत्रांकः मु0चि0अ0 / एनटीसीपी / 177

दिनांक–17.04.2020

विषयः– *जन स्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस (कोविड–19) को फैलने से रोकने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

अवगत कराना है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक स0 राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8375 के अनुसार जन स्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस (कोविड–19) को फैलने से रोकने के लिये सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफे, बार, आदि में हर तरह से हुक्का पेस करने के कृत्य एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान मसाला खाकर इधर उधर थूकनें तथा खुली सिगरेट की बिकी को प्रतिबन्ध करना जरूरी है अतः इस प्रकार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान में सहयोग मिलेगा।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आप को निर्देशित किया जाता है की आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान मसाला खाकर इधर उधर थूकनें तथा खुली सिगरेट की बिकी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाना सुनिश्चित करें साथ ही साथ उक्त कृत करते हुए पकडे जाने पर सी0ओ0डी0पी0 2003 के नियमों / अधिनियमों इत्यादि के अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज

संख्या एवं दिनांक– उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कन्नौज।
3. नोडल अधिकारी,एनटीसीपी कन्नौज।
4. अधिशाषी निदेशक उत्तर प्रदेश वोलेन्टी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज

कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज।

सेवा मे,

समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामु0 स्वा0 केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र
कन्नौज

पत्रांकः मु0चि0अ0/एनटीसीपी/ दिनांक–17.04.2020

विषयः– *जन स्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस (कोविड–19) को फैलने से रोकने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

अवगत कराना है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक स0 राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8375 के अनुसार जन स्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस (कोविड–19) को फैलने से रोकने के लिये सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफे, बार, आदि में हर तरह से हुक्का पेस करने के कत्य एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान मसाला खाकर इधर उधर थूकनें तथा खुली सिगरेट की बिकी को प्रतिबन्ध करना जरूरी है अतः इस प्रकार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान में सहयोग मिलेगा।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आप को निर्देशित किया जाता है की आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान मसाला खाकर इधर उधर थूकनें तथा खुली सिगरेट की बिकी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाना सुनिश्चित करें साथ ही साथ उक्त कत करते हुए पकडे जाने पर सी0ओ0डी0पी0 2003 के नियमों/अधिनियमों इत्यादि के अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज

संख्या एवं दिनांक– उक्त। 177–4

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कन्नौज।
3. नोडल अधिकारी,एनटीसीपी कन्नौज।
4. अधिशाषी निदेशक उत्तर प्रदेश वोलेन्टी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज